जोधपुर, 31 मार्च।

नगरनिगम की ओर से इस महीने राजस्व वसूली के लिए चलाए गए विशेष अभियान का सकारात्मक परिणाम सामने आया और निगम ने इस बार लगभग 23 करोड रूपयों का यूडी टैक्स एकत्रित करने मे सफलता हासिल की है। निगम आयुक्त शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि 31 मार्च को वित्तिय वर्ष का अंतिम दिन होने के कारण निगम ने देर शाम तक कांउटर खुले रखे गए और अंतिम दिन 1 करोड रूपयों से अधिक का राजस्व मिला। उन्होने बताया कि शुक्रवार को सरदारपुरा जोन से 7332 रूपए लीज राशि और 6724384 रूपए यूडी टैक्स के एकत्रित किए गए। सूरसागर जोन से 10521 रूपए लीज राशि के और 1366266 रूपए का यूडी टैक्स मिला। वित्तिय वर्ष के अंतिम दिन सिटी जोन से 4698940 रूपए काा यूडी टैक्स एकत्रित किया गया। आयुक्त शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि इस वर्ष 22 करोड 97 लाख 37 हजार 960 रूपयों का यूडी टैक्स मिला वही लीज राशि के रूप मे 1 करोड 76 लाख 16 हजार 178 रूपए मिले। निगम को 21 लाख 98 हजार 476 रूपए का हाउस टैक्स भी मिला है।

महापौर ने शहरवासियों और निगमकर्मियों का जताया आभार

महापौर घनश्याम ओझा ने बताया कि इस वित्त्यि वर्ष में निगम को यूडी टैक्स से करीब 23 करोड रूपयो ंकी आय हुई इसके लिए वह शहरवासियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों का आभार व्यक्त करते है। ओझा ने कहा कि पिछले 10 वर्षो से यूडी टैक्स नही लिया गया और इस कारण कई लोगों को यह टैक्स अधिक लग रहा है लेकिन एक बार अपना बकाया जमा करवाकर प्रतिवर्ष यदि यूडी टैक्स भरा जाए तो यह नाम मात्र का टैक्स है और यह टैक्स जमा करवाकर शहरवासी शहर के विकास मे अपनी भागीदारी निभाए। महापौर ओझा ने निगम आयुक्त, उपायुक्त, राजस्व अधिकारी, निरीक्षक सहित समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों का आभार व्यक्त किया जिन्होने टीम वर्क के रूप मे काम कर यह सफलता हासिल की है।

सरकार ने बढाई टैक्स में छूट की अवधि

राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर यूडी टैक्स ओर लीज राशि मे दी गई छूट को 30 सितम्बर तक बढा दिया है। महापौर ओझा ने बताया कि राज्य सरकार नें एक मुश्त यूडी टैक्स जमा कराने पर ब्याज ओर शास्ति मे शत प्रतिशत छूट दी है वही लीज राशि भी एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत प्रतिशत की छूट दी है। पहले यह छूट 31 मार्च तक थी जिसे बढाकर 30 सितम्बर तक कर दिया है। महापौर ओझा ने सभी शहरवासियों से अपील की है कि अभी भी जिन लोगों ने यह टैक्स जमा नही कराया है वह टैक्स इस समयावधि मे जमा करवाकर इस छूट का लाभ उठाए साथ ही शहर के विकास मे अपनी भागीदारी निभाए।